## प्राक्कथन

भारत सरकार (जीओआई) ने प्राकृतिक आपदा, कीड़ों तथा रोगों जैसे विभिन्न जौखिमों, जो फसल की आंशिक तथा पूर्ण विफलता का कारण बनते है, के प्रति कृषि समुदाय का बीमा करने के लिए पिछले तीन दशकों से कुछ फसल बीमा योजनाएं प्रारम्भ की है। व्यापक फसल बीमा योजना (सीसीआईएस), 1985 में प्रारम्भ, प्रथम देशव्यापी योजना थी। सीसीआईएस को 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) द्वारा परिवर्तित कर दिया गया था तथा भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि. (एआईसी) को 1 अप्रैल 2003 से कार्यान्वयन अभिकरण (आईए) के रूप में नामित किया गया था। जीओआई ने उग्र मौसम परिस्थितियों जैसे कि अभाव, अधिक अथवा असामयिक वर्षा, पाला, तापमान में परिवर्तन आदि के प्रति किसानों के जोखिमों को कवर करने के लिए राज्यों में खरीफ मौसम से प्रारम्भिक मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) को भी प्रारम्भ किया था।

जीओआई ने संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) को प्रारंभ किया तथा इसे रबी मौसम 2010-11 से 50 जिलों में प्राम्भिक आधार पर कार्यान्वित किया। रबी मौसम 2013-14 से जीओआई ने एनएआईएस को परिवर्तित करते हुए एमएनएआईएस तथा डब्ल्यूबीसीआईएस को एक नए कार्यक्रम, राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (एनसीआईपी) में मिला दिया था। तथापि, राज्यों के अनुरोध पर एनएआईएस रबी मौसम 2015-16 तक जारी रही। एआईसी तथा अन्य सूचीबद्ध निजी बीमा कम्पनियों को एनसीआईपी के अतंर्गत कार्यान्वयन अभिकरणों (आईए) के रूप में नामित किया गया था। एनएआईएस, जहां जीओआई तथा राज्य सरकारों ने बीमा प्रीमियम (किसानों के अंश से अधिक) तथा बीमा दावों (एआईसी द्वारा पूरे किए जाने वाली सीमा से अधिक) को आर्थिक सहायता प्रदान की थी, के विपरीत डब्ल्यूबीसीआईएस से सरकारी आर्थिक सहायता को केवल बीमा प्रीमियम तक सीमित कर दिया गया था। खरीफ मौसम 2016 से जीओआई ने एनएआईएस तथा एनसीआईपी को परिवर्तित किया तथा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को प्रारम्भ किया तथा डब्ल्यूबीसीआईएस की पुनर्संरचना की।

वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि के दौरान सरकारी निधियों के उपयोग, योजनाओं के कार्यान्वयन तथा मॉनिटरिंग की समीक्षा करता है।

जीओआई के फसल बीमा प्रदान करने के तीन दशकों के लम्बे प्रयास के बावजूद इन योजनाओं के अंतर्गत किसानों का आवृतन निम्न रहना जारी रहा। गैर-ऋणी किसानों का आवृतन विशेष रूप से निम्न रहा मुख्यतः क्योंकि योजनाएं ऋणी किसानों पर लक्षित रही हैं जिनके लिए योजनाओं में अनिवार्य आवृतन का अनुबंध हैं।

जीओआई तथा राज्य सरकारों ने बीमाकृत किसानों के डाटा बेस का अनुरक्षण नहीं किया था। एआईसी ने भी किसी भी योजना के अंतर्गत समाविष्ट डाटा का अनुरक्षण नहीं किया था। अधिकांश किसानों ने एनएआईएस के अंतर्गत ऋण राशि के बराबर बीमाकृत राशि को अपनाया था जो दर्शाता है कि या तो ऋणी किसानों का केवल ऋण राशि को आवृतन करने का उद्देश्य था (जिस मामले में योजना ने फसल बीमा के रूप में कार्य करने से अधिक ऋण बीमा के रूप मे कार्य किया) या फिर वह अवगत नहीं थे या ऋण संवितरण बैक/एफआई द्वारा योजना के पूर्ण प्रावधानों के सबंधं में उन्हे उचित प्रकार से सूचित नहीं किया था। बुआई क्षेत्र एवं बीमाकृत क्षेत्र से संबंधित डाटा में अंतर था। इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त तथा एआईसी द्वारा उपयोग किए गए डाटा की सम्पूर्णता सुनिश्चित नहीं थी। राज्य सरकारों तथा ऋण/बीमा संवितरण बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा विलम्बों तथा चूक, जिसका परिणाम कृषि समुदाय को बीमा आवृतन के इनकार तथा विलम्ब करने में हुआ, पाई गई थीं। योजनाओं को मानीटर करने हेतु कोई प्रभावी क्रियाविधि नहीं थीं।

इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।